भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 586

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक)

निजी क्षेत्र मे बड़े पैमाने पर छंटनी

586. श्री ए.ए.रहीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार और क्षेत्र-वार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर छंटनी और प्रतिष्ठानों के बंद होने के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बढ़ते मामलों के कारणों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(ग) ऐसी छंटनी से प्रभावित श्रमिकों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा उनके पुन: रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) बड़े पैमाने पर छंटनी को विनियमित करने, रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): "श्रम" समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सीमांकित उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के आधार पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारें कामगारों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करती हैं। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थापनों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और सेवा समाप्ति, छंटनी या कामबंदी और उसकी रोकथाम से संबंधित मामलों सहित कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को सौंपा गया है। निजी क्षेत्र से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

जारी–2/-

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कामगारों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनमें सभी छंटनी किए गए कामगारों के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि, छंटनी मुआवजे के रूप में वैधानिक सुरक्षा उपाय और छंटनी किए गए कामगारों को पुन: नियोजन में प्राथमिकता देने का उपबंध लागू है। यह संहिता पहली बार छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए कामगार पुनर्कौशल निधि की शुरुआत भी करती है, जिसका उद्देश्य छंटनी किए गए कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे उस राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए कर सकें। सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने के लिए वार्ताकार संघों/वार्ताकार परिषदों को वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त, 300 या अधिक कामगारों वाले औद्योगिक स्थापनों के लिए कामबंदी, छंटनी और बंदी के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।
